



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 1991/भाद्र 13, 1913

No. 322]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 1991/BHAURA 13, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कार्मिक, लोक शिक्षा और पेंशन विभाग
(कार्मिक और पेंशन विभाग)

प्रधियुक्त

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1991

सं. का. नि. 557 (प):—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिरक्षण
प्रविणियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2)
के खण्ड (ग), (ङ) तथा (च) तथा धारा 36 के खण्ड (ग) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिरक्षण (विना
विधि) नियमावली, 1987 में जोड़ जाने परमाणु करते हुए एकराशय
निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रस्ताव:—

- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिरक्षण, (विना विधि) द्वितीय संशोधन नियमावली, 1991 होगा।
- (2) ये सार्वभौम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख की प्रथम
तारीख में।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिरक्षण (विना विधि) नियमावली, 1987
में नियम 17 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

2296G1/91

(1)

17. पुनरीक्षण के लिए प्रावधान:—

- कोई भी प्रावधान पुनरीक्षण के लिए तब तक परिवर्तित नहीं
किया जाएगा जब तक वह प्रावधान पुनरीक्षण की प्रथम
दिनांक की तारीख प्रावधान की प्रथम की तारीख की तारीख के
संग दिन के अन्तर अन्तर न किया गया हो।
- पुनरीक्षण प्रावधान पर अध्यात्मक तब प्रवर्तनीय द्वारा
पुनरावली की जाएगा किसी प्रावधान परिवर्तित किया है जो
जब कि प्रवर्तित दिनांक में प्रवर्तित करने के लिये
दूसरी प्रवर्तनीय द्वारा पुनरावली करने का विधि नहीं
देता।
- जब तक प्रवर्तित प्रवर्तनीय द्वारा प्रवर्तित प्रावधान नहीं किया
जाए, पुनरीक्षण प्रावधान पर प्रवर्तनीय प्रतिस्थापन करते
हैं, अध्यात्म पर प्रवर्तनीय प्रावधान का प्रवर्तित भी कर
गएंगे हैं, प्रथम दिनांक प्रावधान की तारीख प्रावधान कर
गएंगे हैं।
- जब किन्हीं नियमों प्रवर्तनीय प्रावधान के पुनरीक्षण के लिए
कोई प्रावधान दिया गया है और जब तक प्रवर्तनीय नहीं

गई है तो उसी मामले में पुनरीक्षण के लिए आवेदनी कोई प्रावधान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (5) पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके समर्थन में विधिवत समर्थन प्रस्तुत न दिया गया हो। प्रो. इमें जानकारी का निजी प्रेषण अथवा तथा एंग्लो स्कोन भी दिखाना गया हो जिसकी सहायता निम्न परामर्श के आधार पर की गई है। पुनरीक्षण प्रावधान में जबको समर्थन की विधिवत समर्थन होगा जबकि किसी तथ्य का प्रमाण विवादपूर्ण हो।

[पं. ए. 11019/44/87-ए. टी.]

ए. कुमार, निदेशक (ए. टी.)

टिप्पणी:—पुस्तक निम्न आर. ए. ए. का. वि. 17 (ई) दिनांक 6-1-87 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा बाद में सा. का. वि. 10000 (ई) दिनांक 11-10-87 तथा सा. का. वि. 89 (ई) दिनांक 26-2-91 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 1991

G.S.R. 557(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of Section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Procedure) Second Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, for rule 17, the following rule shall be substituted, namely:—

"17. Application for review:—

- (1) No application for review shall be entertained unless it is filed within thirty days from the date of receipt of copy of the order sought to be reviewed.
- (2) A review application shall ordinarily be heard by the same Bench which has passed the order, unless the Chairman may, for reasons to be recorded in writing, direct it to be heard by any other Bench.
- (3) Unless otherwise ordered by the Bench concerned, a review application shall be disposed of by circulation and the Bench may either dismiss the application or direct notice to the opposite party.
- (4) Where an application for review of any judgement or order has been made and disposed of, no further application for review shall be entertained in the same matter.
- (5) No application for review shall be entertained unless it is supported by a duly sworn affidavit indicating therein the source of knowledge, personal or otherwise, and also those which are sworn on the basis of the legal advice. The counter affidavit in review application will also be a duly sworn affidavit wherever any averment of fact is disputed."

[No. A-11019/44/87-V1]

S. KUMAR, Director (AT)

NOTE.—The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR 17(E), dated 6-1-1987 and subsequently amended vide GSR 1000(E), 11-10-1987 and GSR 99(E), dated 26-2-1991.